



चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियो टीमों/“शक्ति दीदी” द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरूक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व “शक्ति दीदी” अभियान के तहत आज दिनांक 22.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रों में एण्टी रोमियो टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामों में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओं को “मिशन शक्ति” व “शक्ति दीदी” के सार्वजनिक स्थलों जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेड़खानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरूक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बुलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एण्टी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनांक 22.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में रमजान पर्व को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत एवं शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों, होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनांक 22.03.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में अपराध निरीक्षक पहाड़ी श्री प्रभुनाथ यादव की उपस्थिति में थाना पहाड़ी में, थानाध्यक्ष सरधुवा श्री राम सिंह की उपस्थिति में थाना सरधुवा में थाना दिवस के अवसर पर फरियादियों की शिकायतों को सुनकर निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया तथा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरणों में पुलिस एवं राजस्व विभाग को संयुक्त रूप से मौके पर जाकर शासन द्वारा निर्धारित समय के अन्दर निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया।

(4). राज्य सरकार की मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में वर्ष 1996 से वर्ष 2022 तक अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी एन0डी0पी0एस0 एक्ट 1985 के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों में बरामद किये गये अवैध मादक पदार्थों के निस्तारण(विनिष्टीकरण) करने हेतु श्री मान अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के अनुपालन में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद दिनांक 30.07.2024 पारित आदेश के निर्देशन में माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0 एक्ट चित्रकूट के आदेश दिनांक 21.03.2025 के अनुपालन के क्रम में आज दिनांक 22.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह, प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्याम प्रताप पटेल, प्रभारी रिट सेल वीर प्रताप सिंह, चौकी प्रभारी खोह श्री सत्यमपति त्रिपाठी, पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह, प्रधान लेखक मुख्य आरक्षी शेषनारायण व प्रधान लेखक मुख्य आरक्षी चन्द्रपाल की उपस्थिति में थाना पहाड़ी के 16 एनडीपीएस एक्ट के मुकदमों में कुल 88 किलो गांजा एवं थाना रैपुरा के 05 मुकदमों में कुल 57 किलो 400 ग्राम गांजा को पुलिस लाइन परिसर एल्वीनेटर मशीन के अंदर डालकर जलाकर विनिष्टीकरण कराया गया।

(5). आज दिनांक 22.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गाविजय की उपस्थिति में थाना मानिकपुर में थाना दिवस के अवसर पर फरियादियों की शिकायतों को सुनकर निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया तथा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरणों में पुलिस एवं राजस्व विभाग को संयुक्त रूप से मौके पर जाकर शासन द्वारा निर्धारित समय के अन्दर निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया तत्पश्चात महोदय द्वारा थाना मानिकपुर परिसर का भ्रमण कर निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक द्वारा निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की साफ-सफाई व थाना कार्यालय में रजिस्ट्रों के उचित रख-रखाव, बंदीगृह, सीसीटीवीएनएस कार्यालय, प्रभारी निरीक्षक कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क एवं मेस, थाना परिसर एवं वर्ष 1910 के बने पत्थर के मकान को प्लास्टर एवं रंगाई पुताई कराकर जीर्णोद्धार कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(6). आज दिनांक-22.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा क्षेत्राधिकारी कार्यालय, महिला थाना, यातायात कार्यालय एवं अपराध शाखा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा क्षेत्राधिकारी कार्यालय में रजिस्ट्रों का रखरखाव, महिला थाना के शौचालय में पानी, लाइट, साफ सफाई, अपराध शाखा व यातायात कार्यालय में रजिस्ट्रों का मिलान, रंगाई पुताई का निरीक्षण किया गया तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा कहा गया कि बढ़ती गर्मी के दृष्टिगत कार्यालयों में लगे कुलर, लाइट, पंखा आदि सामानों जल्द से जल्द मरमस्त कराने तथा जिस स्थानों पर नहीं लगे हैं वहाँ पर नये कुलर, पंखा, लाइट, प्रिजर आदि की व्यवस्था करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

निरीक्षण के दौरान प्रभारी अपराध शाखा श्री अजीत कुमार पाण्डेय, निरीक्षक श्री नरेश कुमार प्रजापति एवं पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह मौजूद रहें।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती रिशू पत्नी प्रदीप कुमार निवासी मऊ थाना मऊ जनपद चित्रकूट ने पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया कि पति प्रदीप कुमार व ससुरालीजन द्वारा प्रार्थिया को गाली गलौज,मारपीट,लड़ाई झगड़ा कर शारीरिक, मानसिक प्रताड़ना करते हुए दहेज की मांग करने के सम्बन्ध में दिया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी, महिला आरक्षी शिवाम्नी श्रीवास्तव,महिला आरक्षी मंजुलता द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में गाली गलौज,मारपीट,लड़ाई झगड़ा कर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना न करने,पारिवारिक सामंजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामंजस्य बिठाकर एवं पारिवारिक दायित्वों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीम:-

- 1.प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी
- 2.महिला आरक्षी शिवाम्नी श्रीवास्तव
3. महिला आरक्षी मंजुलता

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(i). उ0 नि0 श्री इमरान खान थाना राजापुर मय हमराह प्रकाश मिश्रा द्वारा मु0नं0 1957/23 धारा अ0सं0 62/22 धारा 420,504,506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त नत्थू पुत्र सत्यदेव निवासी दक्षिणी मौजा मझगवा दक्षिणी पश्चिम नाका कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया।

(iii). उ0नि0 श्री बाबूलाल थाना भरतकूप मय हमराह आरक्षी नन्हे यादव द्वारा मु0अ0सं0 242/19 धारा 363,376,506 भादवि0 व 06 पॉक्सो एक्ट के वारण्टी अभियुक्त बिजली उर्फ विनोद पुत्र कलुवा निवासी भारतपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया।

(9). आज दिनांक 22.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में रमजान पर्व को सकुशल संपन्न कराए जाने एवं शान्ति सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत थाना थाना मऊ क्षेत्र के अटल नगर, आजाद नगर,महाराज चौराहा,सर्राफा बाजार,एकलब्य नगर एवं मऊ कस्बा के मिश्रित घनी आबादी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों के आस पास भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में ड्रोन कैमरे से निगरानी की गयी।